



# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 108/NCRES/20

Date : 26.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- नये यूनिफाइड MOU के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के मरीजों को अन्य रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों में रेफर करना।


- संदर्भ :- (i) NCRES PNM मद संख्या 21/12/2019  
(ii) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016  
(iii) आपका पत्र संख्या 10 मेड/NCRES/विविध दिनांक 5.3.2018/5.3.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि NCRES ने अपने पूर्व के पत्र संख्या 72/NCRES/19 दिनांक 28.2.2019 एवं पी.एन.एम. मद संख्या 21/12/2019 के द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016 के अनुपालन हेतु मांग किया था जिससे नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के रिटायर्ड एवं सर्विग लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों को M/S UTIITSL की बेबसाइट से अन्य रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों में सीधे रेफर किया जा सके परन्तु खेद का विषय है कि संघ को जबाब दिया गया है वह रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र से सम्बन्धित ही नहीं है।

PNM के मद सं० 21/12/2019 के प्रशासनिक टिप्पणी में रेलवे बोर्ड के जिस पत्र संख्या 2018/Trans.Ce./Health/Medical Issues दिनांक 30.8.2018 का जिक्र किया गया है, उसमें रेलवे लाभार्थी अपनी रेलवे द्वारा Debit नोट जारी होने के पश्चात अन्य जोनों के रेलवे अस्पताल के माध्यम से प्राइवेट चिकित्सालय में रेफर होता है, और कई बार समन्वय होने में देरी होने के कारण गम्भीर मरीज की मृत्यु भी हो जाती है।

अतः NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में भी M/S UTIITSL के माध्यम से रेफर करने की सुविधा शुरू की जाय एवं संघ को कोई भी जबाब रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016 के संदर्भ में ही दिया जाय।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री